खेत में आने जोन के लिए वैकल्पिक रास्ता होना अंकित है। राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क प्रावधान के अनुसार किसी भी काश्तकार/खातेदार को रास्ता की आत्यान्तिक रास्ता की आवश्यकता होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में कटाणी रास्ते से सबसे नजदीकी व कम दूरी के रास्ते के उपभोग में आने भूमि के एवज में डीएलसी दर की दुगुनी प्रतिकर राशि भुगतान पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

8. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया के खेत खसरा नं. 840 के मौजा–छापड़ा तहसील–डेह में तहसीलदार डेह के मार्फत प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य के लिए कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु प्रार्थीया को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होती है तथा रास्ते का अभाव हस्तगत प्रकरण में सिद्ध पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.07.2024 में वर्णनानुसार अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 838 व 839 मौजा छापड़ा में से माफिक नजरी नक्शा एवं तकमीना वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर से प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 840 रकबा 1.8616 हैक्टेयर मोजा छापड़ा के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–छापड़ा के खसरा नं. 838 रकबा 0.2995 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 839 रकबा 3.2699 हैक्टेयर में से तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.07.2024 के अनुसार लाल स्याही पेन से डोटेट अनुसार मार्क ए से सी तक स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.07.2024 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम छापड़ा के खसरा नं. 838 व 839 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/08/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner